

Rti / Speed Post

अवर सचिव
UNDER SECRETARY



उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

फाइल संख्या वीपीएसईसी/आर/2017/-50006

02 फरवरी, 2017

सेवा में,

श्री पुना राम साहू
ग्राम मोहभाटथा पोस्ट सरगांव
तहसील पाथरिया जिला मुंगेली
छत्तीसगढ़।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु
महोदय,

उक्त संदर्भ में आपका ई-मेल द्वारा भेजा गया आवेदन दिनांक 01 फरवरी, 2017 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसके माध्यम से आपने छात्रवृत्ति दिये जाने के बारे में बिंदुवार जानकारी उपलब्ध करवाये जाने हेतु आवेदन किया है।

इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपके पत्र का विषय इस कार्यालय से संबंधित नहीं है और न ही संबंध में कोई सूचना उपलब्ध है, अतः आपको सलाह दी जाती है कि इस विषय में आप श्री मनोज कुमार केजरीवाल, निदेशक छात्रवृत्ति विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय वेस्ट ब्लॉक-1, विंग-6, आर.के.पुरम, नई दिल्ली के कार्यालय से सम्पर्क करें।

धन्यवाद,

भवदीय,

(हुरबी शकील)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री मनोज कुमार केजरीवाल, निदेशक, छात्रवृत्ति विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय वेस्ट ब्लॉक-1,
विंग-6, आर.के.पुरम, नई दिल्ली

हुरबी शकील

(हुरबी शकील)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

Xharain Singh
2/2/17

प्रति,

Vice President

भारत सरकार

विषय :- सुचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत जानकारी प्रदान करने हेतु ।

महोदय,

आप से निवेदन है की आप निम्न बिन्दुओं पर जानकारी प्रदान करने की कृपा करे

1. RTI REGISTRATION NUMBER DOHED/R/2016/54868 में स्पष्ट रूप से जानकारी दिया गया है की 2015 बैच के कुल 8669 छात्रों को छात्रवृत्ति आबंटन नहीं हो पाया है अतः आप से निवेदन है की आप उन सभी छात्रों का application form जो उसने national scholarship portal में भरा था उन सब जानकारी को एक CD DRIVE में संकलित करके जानकारी प्रदान करे ।
2. RTI REGISTRATION NUMBER DOHED/R/2016/54868 में बिंदु 6 में स्पष्ट रूप से जानकारी दिया गया है की 2015 बैच के कुल 3635 छात्रों का नाम सम्बंधित राज्य शिक्षा बोर्ड ने उसका नाम प्रेषित नहीं किया है अतः आप से अनुरोध है की उन सभी छात्रों का national scholarship portal में central sector scheme of scholarship for collage and university योजना के तहत जो application form भरा था वह सब application form (3635 छात्रों का) एक CD DRIVE में संकलित करके प्रदान करे ।
3. अगर कोई राज्य शिक्षा बोर्ड किसी छात्र का जिसका नाम मेरिट लिस्ट में है लेकिन उसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नाम नहीं भेजता है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा सकती है वह कार्यवाही कौन कर सकता है ? यह कार्यवाही करने के लिए उनके पास कौन कौन से अधिकार प्राप्त है ?
4. मेरे द्वारा लगाया गया RTI APPLICATION REG. NO. DOHED/R/2016/53963 का दूसरा अपीलीय अधिकारी कौन है ? उसका नाम, पद, एवं पता बताये । क्या मैं उसे डाक के माध्यम से SECOND APPEAL कर सकता हु ? यदि नहीं कर सकता हु तो क्यों ?
5. central sector scheme of scholarship for collage and university योजना के तहत जो पैसा बजट से आता है वह किसके बैंक खाता में रहता है । वह बैंक खाता वर्तमान में किसके नाम पर है ? उस बैंक खाता का 01-01-2016 से 31-01-2017 तक बैंक स्टेटमेंट प्रदान करने करे ।
6. आप से अनुरोध है की आप इस RTI application का FIRST AND SECOND APPEAL AUTHORITY का नाम पता एवं फोन नंबर इत्यादी जानकारी प्रदान करे ।